।। निदेशालय गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।।

फोन :– 0141–2613755, ,फैक्स : 0141–2603407 ई–मेल : hg.trg.rj@nic.in
website: http://home.rajasthan.gov.in/homeguards

कमांकःगृरमु/प्रशि/T–1( )2020–21/16569–16610 दिनांकः– 22/5/2020

–:: स्थायी आदेश सँ.–14/2020 ::–

रिसोर्स पर्सन व प्रशिक्षकों को देय मानदेय

राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या 12/2007 दिनांक 07.06.2007 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग–।।। के पार्ट–।। आईटम 2 (सीसी) (i) (b), राजस्थान पुलिस अकादमी एवं हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM RIPA) द्वारा जारी आदेशों का अध्ययन तथा इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 11833–40 दिनांक 13.04.2020 द्वारा गठित समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान गृह रक्षा के सभी प्रशिक्षण संस्थानों एवं सीमा गृह रक्षा दलों में सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण देने के लिए आने वाले रिसोर्स पर्सन्स/गेस्ट फेकल्टी एवं प्रशिक्षकों को निम्नानुसार मानदेय राशि का भुगतान करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

क्र सं	संस्थान का नाम	रिर्सास पर्सन्स/गेस्ट फेकल्टी का स्तर	स्वीकृत मानदेय की दर	विशेष विवरण
1.	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।	राज्य सरकार के किसी भी विभाग में पदस्थापित/ सेवानिवृत राजपत्रित रिसोर्स पर्सन्स।	500/– प्रति कालांश (कालांश अवधि 45 मिनट)	अधिकतम 60 कालांश प्रति रिसोर्स पर्सन प्रति वर्ष। ट्रांसपोर्ट भत्ता रू. 250/– प्रतिदिन
2.	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।	विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रों में विशिष्टता/ दक्षता प्राप्त प्रतिष्ठित अनुभवी व्यक्तियों, विशिष्ट संस्थाओं के यथा एन.पी.ए./एन.एस.जी/आई.आई.पी.ए./ए.एस.सी.आई/ सी.बी.आई/सी.पी.डब्ल्यू.डी/आई.आई.टी. आदि के कार्यरत/सेवा निवृत प्रोफेसर/ विशेषज्ञ स्तर के रिसोर्स पर्सन्स।	750/– प्रति कालांश (कालांश अवधि 45 मिनट)	अधिकतम 60 कालांश प्रति रिसोर्स पर्सन प्रति वर्ष। ट्रांसपोर्ट भत्ता रू. 250/– प्रतिदिन
3.	1.केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर। 2.समस्त सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान। 3.समस्त गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।	आर्मी, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, पुलिस एवं होमगार्ड विभाग से सेवानिवृत कम्पनी कमाण्डर / प्लाटून कमाण्डर/ मुख्य आरक्षी एवं समकक्ष पद तथा अराजपत्रित कर्मचारी जो प्रशिक्षक की योग्यता रखते है।	210/– प्रति कालांश (कालांश अवधि 45 मिनट)	अधिकतम 100 कालांश प्रति रिसोर्स पर्सन प्रति माह अर्थात अधिकतम रू. 21,000/– प्रति माह

नोटः–
1. **एक समय में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा में अधिकतम 2 प्रशिक्षक एवं गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, तथा सीमा गृह रक्षा दल में 1 प्रशिक्षक को ही प्रशिक्षण हेतु रखा जा सकेगा।**
2. **प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध रिसोर्स पर्सन/प्रशिक्षक को संस्थान परिसर में निःशुल्क आवास सुविधा देय होगी।**

(राजीव दासोत IPS)
महानिदेशक
गृह रक्षा, राजस्थान
जयपुर